

मण्डल सैम, मण्डल कार्यालय, झाँसी

झलकारी बाई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कानपुर रोड, झाँसी उ.प्र. – 284001, फोन नं. : 0510 – 2321461, ईमेल: cs8252@pnb.bank.in.

नीलामी सन्दर्भ सं.: ई-नीलामी / baanknet/ 2026–27 / तिमाही –03 / स. 01

दिनांक 16.10.2026

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वितीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) अंतर्गत बैंक के द्वारा बंधक बनाई गई चल / अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-विक्रय नोटिस दिया जाता है। नीचे वर्णित चूककर्ताओं ने पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया था तथा इस ऋण की राशि चुकाने में विफल रहे। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण एवं वितीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना जारी की गई थी और उसके बाद बंधक सम्पत्तियों का रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है, और नीचे वर्णित सम्पत्तियों को उस तारीख को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित, 'जहां है, जैसा है', 'जैसा है वैसा है', '...', और 'जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, जो बैंक / प्रतिभूति लेनदार के कारण, अपने बकाये की वसूली के लिए (सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत विक्री का निर्णय लिया है।)। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) संबंधित संपत्तियों के विरुद्ध विवरण का नीचे दी गई तालिका के अनुरूप होगी।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं.	शाखा का नाम खाता का विवरण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक / सम्पत्ति मालिक का नाम(बंधक सम्पत्ति / यां (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग एवं हिस्सों सहित)	अ/सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(2)के तहत मांग सूचना की तिथि ए/पनीएप/ तिथि को देय बकाया राशि स/सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि द/कब्जा का प्रकार-रचनात्मक / सांकेतिक / भौतिक कब्जा	अ/आरक्षित मूल्य (लाख में) ब/अग्रिम राशि जमा (ईएमडी / राशि जमा) करने की समय सीमा स/ वृद्धिशील बिड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय
1	शाखा सिविल लाइन्स, झाँसी उधारकर्ता-श्रीमती सरोज पत्नी श्री जय कुमार जमानतकर्ता 1.श्री चैनसुख अहिखवार पुत्र स्व. हरप्रसाद 2. श्री. नरेन्द्र अहिखवार पुत्र स्व. चैनसुख अहिखवार	सभी भाग एवं हिस्सों सहित संपत्ति स्थित हल्दोलपुरा, निकट हरदौल बाबा मंदिर, कोछामावर, झाँसी-284001, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 625 वर्गफुट। (बंधककर्ता श्रीमती सरोज पत्नी श्री जय कुमार) चौहददी- : पूर्व-औरी पप्पू खटीक का मकान उत्तर-मार्ग 3.05 मीटर, पश्चिम- बाबूलाल का प्लॉट, दक्षिण- श्री ब्रजकिशोर का मकान	अ) 31.10.2023 ब) रू. 14,41,747.86/- + ब्याज एवं अन्य खर्च दि. 31.10.2023 से प्रभावी स) 11.03.2024 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रू. 14.00 लाख ब) रू. 1.40 लाख 02.11.2026 स)रू. 0.10 लाख	03.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
2	शाखा -झांसी शिवाजी नगर (ई-ओबीवी) उधारकर्ता-श्री अरविन्द कुमार कुशवाहा पुत्र श्री धनी राम कुशवाहा।	सांथिक बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित 1848, दरोगा का बाग, (पड़ोसिया) दलिया गेट के बाहर, झांसी (उ.प्र.) ब्ले. 843.5 वर्गफीट (सम्पत्ति मालिक/ बंधककर्ता-श्री अरविन्द कुमार कुशवाहा पुत्र श्री धनी राम कुशवाहा)। चौहददी- उत्तर-ओमीसेन का मकान, दक्षिण- श्री अशोक वर्मा का मकान, पूर्व-श्री अरविन्द कुमार के मकान का भाग, पश्चिम-12फीट रोड।	अ) 05.01.2019 ब) रू. 11,28,259 /- + ब्याज एवं अन्य खर्च स) 17.08.2021 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रू. 29.00 लाख ब) रू. 2.90 लाख 02.11.2026 स)रू. 0.10 लाख	03.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
3	शाखा- रेवन उधारकर्ता-श्री जाफिर पुत्र श्री कमर	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल अचल आवासीय मकान सम्पत्ति-मऊरानीपुर, जिला- झांसी. क्षेत्रफल 67.19 वर्ग मीटर (723 वर्ग फुट) जोकि श्री जाफिर पुत्र श्री कमर के नाम पर है। डीड के अनुसार चौहददी -पूर्व: क्रेता का मकान, पश्चिम: खलील का मकान, उत्तर: हलीम का मकान, दक्षिण: 4 फुट चौड़ा रास्ता।	अ) 29.09.2025 ब) रू. 5,94,337.98 + ब्याज एवं अन्य खर्च दि. 01.09.2025 से प्रभावी स) 23.12.2025 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रू. 4.50 लाख ब) रू. 0.45 लाख 02.11.2026 स)रू. 0.10 लाख	03.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
4	शाखा- मऊरानीपुर, जिला - झांसी उधारकर्ता-श्रीमती विनोद कुमार यादव और सह-उधारकर्ता श्री नीरेन्द्र सिंह यादव	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय प्लॉट (अब उस पर निर्मित मकान) संपत्ति स्थित मऊ देहात, हरो एजेंसी के पीछे, मऊ-झांसी रोड, मऊरानीपुर, भूमि संख्या 39मि. क्षेत्रफल 188.66 वर्गमीटर (2030 वर्गफीट) जोकि श्रीमती विनोद कुमार यादव पत्नी नीरेन्द्र सिंह यादव के नाम पर है। चौहददी (बिक्री विलेख के अनुसार): पूर्व-चिरंजीलाल कुशवाहा का मकान पश्चिम-रास्ता, उत्तर-गौरव कुमार का प्लाट, दक्षिण-विक्रेता का प्लाट।	अ) 14.02.2025 ब) रू. 32,93,399.66 + ब्याज एवं अन्य खर्च दि. 01.02.2025 से प्रभावी स) 8.04.2025 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रू. 50.00लाख ब) रू. 5.0 लाख 02.11.2026 स)रू. 0.10 लाख	03.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
5	शाखा-बिजौली, झाँसी उधारकर्ता- इदरीस खान गौरी, पुत्र हमीद खान गौरी	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल आवासीय प्लॉट (जिस पर अब निर्मित मकान) नंबर बी-20, स्थित औद्योगिक एरिया ग्रोथ सेंटर, बिजौली, झांसी पी.एच.-1, जिला- झांसी, उ.प्र., क्षेत्रफल - 345 वर्ग मीटर, जोकि इदरीस खान गौरी पुत्र हमीद खान गौरी (सम्पत्ति मालिक/ बंधककर्ता/ पट्टेदार) के नाम पर है। डीड (दस्तावेज) के अनुसार चौहददी- पूर्व- प्लॉट नंबर बी-1, पश्चिम- 12 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर- 9 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण-प्लॉट नंबर बी-19।	अ) 16.05.2026 ब) रू. 49,81,260.05 + ब्याज एवं अन्य खर्च दि. 01.05.2026 से प्रभावी स) 22.07.2026 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रू. 70.00लाख ब) रू. 07.00 लाख 25.11.2026 स)रू. 0.10 लाख	26.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
6	शाखा- बिजौली, झांसी) उधारकर्ता-श्री होती सिंह यादव पुत्र श्री कामता प्रसाद एवं सह-उधारकर्ता-श्रीमती मालती पत्नी श्री होती सिंह यादव	सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय मकान संख्या सी-80, स्थित ग्रोथ सेंटर बिजौली, झांसी, जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल-200 वर्ग मीटर मालिक/ बंधककर्ता/ पट्टेदार- श्री होती सिंह पुत्र श्री कामता प्रसाद। पट्टा विलेख के अनुसार चौहददी: पूर्व- प्लॉट सं. सी-81, पश्चिम:प्लॉट सं. सी-79, उत्तर: 18 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण: प्लॉट सं. सी-43	अ) 06.08.2025 ब) रू. 47,91,982.29 + ब्याज दि. 31.08.2024 से प्रभावी एवं अन्य खर्च स) 19.11.2025 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रू. 89.00 लाख ब) रू. 8.90 लाख 25.11.2026 स)रू. 0.10 लाख	26.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
7	शाखा-बबीना उधारकर्ता-श्री. बिलाल खान पुत्र अजमत उल्लाह खान	आवासीय संपत्ति स्थित बबीना ग्रामीणी (कैंट एरिया के बाहर) आराजी नं. 2051/ 1 मि. मौजा बबीना ग्रामीणी जिला झांसी उत्तर प्रदेश माप क्षेत्र 278.81 वर्गमीटर (श्री बिलाल खान पुत्र अजमत उल्लाह खान के नाम पर है।) चौहददी- (टाइटल डीड के अनुसार): पूर्व-विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम- 6. 10 मीटर चौड़ा रास्ता, उत्तर- 3.96 मीटर चौड़ा रास्ता, दक्षिण- सिन्नी यादव का प्लॉट	अ) 27.02.2023 ब) रू. 23,94,058.33 + ब्याज एवं अन्य खर्च दि. 31.01.2023 से प्रभावी स) 03.05.2023 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रू. 25.00 लाख ब) रू. 2.50 लाख 25.11.2026 स)रू. 0.10 लाख	26.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
8	शाखा-कानपुर रोड, झाँसी उधारकर्ता- श्री दिनेश राय पुत्र श्री भारत राय	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय प्लेट संख्या 501, 5वीं मंजिल, दि कोर्टयार्ड अपार्टमेंट, मौजा तालापुर, स्थित, कानपुर रोड तहसील एवं जिला झाँसी-284002, क्षेत्रफल- 155.68 वर्ग मीटर, जोकि श्री दिनेश राय पुत्र श्री भारत राय के नाम पर है। चौहददी -पूर्व- 12 मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिम- विक्रेता की संपत्ति, उत्तर- 6 मीटर चौड़ा रास्ता, दक्षिण- विक्रेता का प्लेट संख्या 502।	अ) 12.03.2026 ब) रू. 54,77,531.77 + ब्याज एवं अन्य खर्च दि. 01.03.2026 से प्रभावी स) 19.05.2026 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रू. 96.00 लाख ब) रू. 9.60 लाख 25.11.2026 स)रू. 0.50 लाख	26.11.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें - 1. विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम में वर्णित नियम एवं शर्तों एवं निम्न अन्य शर्तों के अनुसार होगा। 2. संपत्तियाँ“जहां है, जैसा है”, “जैसा है वैसा है”, और “जो कुछ भी है” के आधार पर विक्रय की जा रही हैं। 3. इस अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 4. यह बिक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> पर 11.00 AM से 04.00 PM तक उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोदस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। 5. विस्तृत अवधि और बिक्री की शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> देखें 6. सर्विस प्रदाता का हेल्प डेस्क नम्बर +918291220220 अथवा मुख्य प्रबंधक, मंडल कार्यालय: झांसी मो. 9470591961 ई-मेल cs8252@pnb.bank.in है। विस्तृत जानकारी हेतु कृपया हमारे वेबसाइट पर विजिट कर अथवा नोडल अधिकारी मुख्य प्रबंधक से मो. 9470591961. पर संपर्क करें। कृपया नोट करें: 1.प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण- कोई अधिभार ज्ञात नहीं।

*सम्पत्ति का विक्रय सांकेतिक कब्जा जो "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है। भौतिक कब्जा ऋणी / प्रशासन द्वारा देने पर प्राप्त होगा।

2. यह नोटिस उधारकर्ताओं / जमानतकर्ताओं / बन्धककर्ताओं को बिक्री नोटिस भी है।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक: :16.10.2026

स्थान: झाँसी

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नैशनल बैंक,
मण्डल कार्यालय झाँसी